

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (पाली)

प्रार्थी :- नारायण पुत्र देवा -नाम:-

अप्रार्थी :- तहसीलदार

किस्य मुकदमा :- राजश्व वाद,

नम्बर :- 111/2023

नम्बर व  
तारीख  
अहकाम जो  
हक हुक्म  
की तामील  
में जारी  
हुए

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

13.06.23

प्रार्थी उपस्थित।

राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशासन गांवों के संग अभियान केमप कुड़की में पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी ने प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 136 RT Act. के तहत पेश किया। वादी का दावा दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी ने निवेदन किया कि मौजा-कोटड़िया में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 72, 75, 79, 110 में प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की भूमि हैं। जिसमें प्रार्थी का नाम नारु पुत्र देवा दर्ज है जबकि प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजात में नारायण पुत्र देवाराम हैं, प्रार्थी ने अपना नाम नारु पुत्र देवा के स्थान पर नारायण पुत्र देवाराम शुद्ध किये जाने का निवेदन किया है।

प्रशासन गांवों के संग अभियान कुड़की में मजमा-ए-आम में जानकारी प्राप्त की गई। पटवारी हल्का, भू. अ. निरीक्षक रास व तहसीलदार जैतारण ने जांच कर, प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें खाता संख्या 72, 75, 79, 110 संयुक्त खातेदारी की भूमि आयी हुई हैं। जिसमें प्रार्थी का नाम नारु पुत्र देवा दर्ज है जबकि प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजात में नारायण पुत्र देवाराम दर्ज हैं, प्रार्थी का नाम नारु पुत्र देवा के स्थान पर नारायण पुत्र देवाराम शुद्ध किये जाने की अभिशंषा की है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाता है। पटवारी हल्का, भू. अ. निरीक्षक रास व तहसीलदार जैतारण की अभिशंषा के आधार पर मौजा-कोटड़िया पटवार हल्का कुड़की में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 72, 75, 79, 110 में प्रार्थी के नाम की त्रुटिपूर्ण एवं अशुद्ध प्रविष्टि नारु पुत्र देवा को विलोपित करते हुये इसके स्थान पर खातेदार का सही एवं वास्तविक नाम " नारायण पुत्र देवाराम " दर्ज करते हुये तहसीलदार जैतारण को इसी अनुरूप भू-अभिलेख अद्यतन किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है, अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। आदेशिका की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाक तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)  
उपखण्ड अधिकारी एवं परेष  
सहायक कालकर जैतारण (पाली)

